न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 32/24 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. कमलेश पुत्र सच्चिदानन्द।
2. संजीव पुत्र सच्चिदानन्द।
3. सीतादेवी सोनी पत्नी कमलेश कुमार सोनी।

समस्त जाति स्वर्णकार निवासी जीतपुर तह0 राहुवास जिला दौसा राजस्थान।

–(प्रार्थीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राहुवास जिला दौसा।

–(अप्रार्थी)

उपस्थितिः– 1. श्री पंकज शर्मा अधिवक्ता–(प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 128 एल आर एक्ट सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने बाबत

निर्णय दिनांकः–31.05.2024

प्रार्थना पत्र में अंकित संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी ख0नं0 3 रकबा 4.7171 है0 भूमि वाकै ग्राम श्रीरामचन्द्रपुरा तहसील राहूवास जिला दौसा में स्थित है उक्त आराजी में प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी अनुसार दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की सीमाओ को लेकर विवाद है। इसलिए प्रार्थीगण अपनी भूमि की सीमाओं के निर्धारण के लिए पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का दिनांक 09.05.2024 को तहसीलदार राहूवास द्वारा सीमा निर्धारण करने के पश्चात भी पडौसी खातेदारों के संतुष्ट नही है। इसलिए प्रार्थीगण की भूमि का नक्शा ट्रेस अनुसार पुलिस इमदाद से सीमा चिन्ह अंकित करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने का अनुतोष चाहा है।

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस जारी कर तलबी की गई। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में जवाब व तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 21.05.2024 पत्र क्रमांक/एल0आर0/2024 /641 पेश की गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट आराजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2024.09.05 15:10:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

ख0नं0 3 रकबा 4.7171 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा किसी न्यायालय का स्थगन दर्ज रिकॉर्ड नही है। व उक्त खसरे का पूर्व में सीमाज्ञान हो चुका है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के सीमा विवाद के कारण प्रार्थीगण उक्त भूमि की पुलिस इमदाद के साथ पत्थरगढी करवाना चाहता है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवम तथ्यात्मक रिपोर्ट का आधोपान्त अध्यन किया गया। प्रार्थीगण ख0नं0 3 रकबा 4.7171 है0 भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। व स्वयं की आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। जिसके अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।`

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राहूवास को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 3 रकबा 4.7171 है0 वाके ग्राम श्रीरामचन्द्रपुरा तहसील राहूवास जिला दौसा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार सीमावर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर सूचित करे। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ता की आवश्यकता हो तो तहसीलदार अपने स्तर से पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त कर न्यायालय के आदेश की पालना करावें। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार रामगढ पचवारा को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय न्यायालय की मोहर एव मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

31/05/24

वर्षा मीना (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा, जिला दौसा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2024.09.05 15:10:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner